



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06062026-273225  
CG-MH-E-06062026-273225

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948

No.394]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 2 जून, 2026

सा.का.नि. 441(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) जिला कच्छ में के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी- भक्ताऊ, जिला कच्छ को लिखित में दी जाएगी और उसमें आपत्ति के कारण बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उपधारा (II) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) प्रदान करने के लिए जोड़ना को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: कच्छ

क्रमांक	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (in Sqm.)
1	भक्ताऊ	चिराई नानी	139	खेती	490
2	भक्ताऊ	चिराई नानी	141/1	खेती	918
3	भक्ताऊ	चिराई नानी	141/2	खेती	1827
4	भक्ताऊ	चिराई नानी	161	खेती	794
5	भक्ताऊ	चिराई नानी	227	खेती	1000
6	भक्ताऊ	चिराई नानी	232	खेती	543
7	भक्ताऊ	चिराई नानी	235	खेती	40
8	भक्ताऊ	चिराई नानी	236/1	खेती	05
9	भक्ताऊ	चिराई नानी	236/3	खेती	173
				कुल:	<b>5790</b>

[फा. सं. ई-658630-01]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक - II

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[Western Railway (Construction Organization)]**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 2nd June, 2026

**G.S.R. 441(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the **Special Railway Project, namely Samakhiyali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch** in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Bhachau, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely Samakhiyali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch in the state of Gujarat.

**Name of District: Kutch**

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Bhachau	Chirai Nani	139	Agriculture	490
2	Bhachau	Chirai Nani	141/1	Agriculture	918
3	Bhachau	Chirai Nani	141/2	Agriculture	1827
4	Bhachau	Chirai Nani	161	Agriculture	794
5	Bhachau	Chirai Nani	227	Agriculture	1000
6	Bhachau	Chirai Nani	232	Agriculture	543
7	Bhachau	Chirai Nani	235	Agriculture	40
8	Bhachau	Chirai Nani	236/1	Agriculture	05
9	Bhachau	Chirai Nani	236/3	Agriculture	173
				Total Land	<b>5790</b>

[F. No. E-658630-01]

S R PRASAD, Chief Project Manager- II